प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 470 सन् 2006

अपीलार्थी : खेमलाल

प्रत्यर्थीगण : बघेल बडोई एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनिर्णय विचारार्थ प्रस्तुत 1.12.2011

सही /-

न्यायाधीश

1.12.2011

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

अधिनिर्णय की उद्घोषना हेतु **2.12.2011**

सही/-

एन.के.अग्रवाल

न्यायाधीश

1

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्रमांक 470/2006

अपीलार्थी/दावाकर्ता खेमलाल, आत्मज पुनारद @ खोरबाहरा साहू, आयु 23 वर्ष, निवासी- ग्राम इर्रा (भुवनेश्वर साहू का मकान), तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी (छ.ग.)। प्रतिनिधित्व द्वारा: पत्नी श्रीमती भगवती बाई, पति खेमलाल साहू, निवासी- ग्राम इर्रा (भुवनेश्वर साहू का मकान), तहसील- कुरुद, जिला- धमतरी (छ.ग.)।

विरुद्ध

प्रत्यर्थीगण

1. बघेल बडोई, आत्मज गोपाल बडोई, आयु लगभग 28 वर्ष, निवासी- पी.वी. (परलकोट) नं. 17, पोस्ट- पखांजूर, तहसील- भानुप्रतापपुर, जिला- कांकेर (छ.ग.)। (मेटाडोर क्रमांक C.G. 04 A 8027 का चालक)
2. सुशांत चक्रवर्ती, आत्मज सुशील चक्रवर्ती, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी- पी.वी. (परलकोट) नं. 17, पोस्ट- पखांजूर, तहसील- भानुप्रतापपुर, जिला- कांकेर (छ.ग.)। (मेटाडोर क्रमांक C.G. 04 A 8027 का स्वामी)

3. राजेन्द्र कुमार, आत्मज रूपराम साहू, आयु लगभग 40 वर्ष, निवासी- पुरू (मर्रीटोला), तहसील- गुरुर, जिला- दुर्ग (छ.ग.)। (जीप क्रमांक C.G. 04 ZA 2366 का स्वामी)
4. शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, आदर्श बाल मंदिर के पास, धमतरी, जिला- धमतरी (छ.ग.)। (मेटाडोर क्रमांक C.G. 04 A 8027 का बीमाकर्ता)

मोटर यान अधिनियम (1994 के अधिनियम द्वारा यथा संशोधित) की धारा 173 के अंतर्गत अपील

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री एन.के. अग्रवाल न्यायधीश

उपस्थित :-

श्री गौतम भादुड़ी एवं श्री एस. एस. राजपूत, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

श्री आशीष बेक, प्रत्यर्थी क्रमांक 4 के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अधिनिर्णय

(दिनांक 01-12-2011 को पारित)

द्वारा: एन. के. अग्रवाल, न्यायमूर्ति

यह दावाकर्ता द्वारा "अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, धमतरी, सिविल जिला रायपुर" (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 251/2005 में पारित अधिनिर्णय दिनांक 15 फरवरी, 2006 के विरुद्ध क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि हेतु प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी/दवाकर्ता- खेमलाल द्वारा दिनांक 09.12.2003 को मोटर दुर्घटना में आई चोटों के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (एतस्मिन पश्चात 'अधिनियम') की धारा 166 के तहत दावा आवेदन प्रस्तुत कर 21,00,000/- रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की गई थी, जिसके विरुद्ध

विद्वान अधिकरण ने 6% वार्षिक ब्याज के साथ कुल 2,71,750/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णित की है।

अधिकरण ने, प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परिशीलन के उपरांत यह अभिनिर्धारित किया कि: यह दुर्घटना मेटाडोर क्रमांक सी.जी. 04-A/8027 के चालक बघेल बदोई/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं उतावलेपन से वाहन चलाने के कारण कारित हुई थी; उक्त दुर्घटना में अपीलार्थी/दावाकर्ता को बहुविध चोटें आईं जिसके परिणामस्वरूप उसे 85% की स्थायी निशक्तता हुई; प्रत्यर्थी क्रमांक 4/ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु दायी है क्योंकि बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन को स्थापित नहीं किया जा सका हैं ; मूल्यांकन के पश्चात दावेदार को 6% प्रति वर्ष के ब्याज के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 2,71,750/- रुपये की राशि प्रदान की गई।

4. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गौतम भादुड़ी एवं श्री एस.एस. राजपूत ने निवेदन किया कि: अधिकरण ने अपीलार्थी की आय पर अविश्वास करने में त्रुटि की है; अपीलार्थी की अर्जन क्षमता की हानि का मूल्यांकन 100% न करने में; चिकित्सीय व्यय के लिए केवल 45,000/- रुपये और कष्ट एवं मानसिक वेदना के लिए केवल 10,000/- रुपये अधिनिर्णित करने में त्रुटि की है, और इस प्रकार केवल 2,71,750/- रुपये की अल्प क्षतिपूर्ति राशि अधिनिर्णित करने में भूल की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष बेक प्रत्यर्थी क्रमांक 3 - बीमा कंपनी की ओर से ने अधिनिर्णय का समर्थन किया और निवेदन किया कि: वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिकरण द्वारा अधिनिर्णित क्षतिपूर्ति की राशि न्यायोचित और उचित क्षतिपूर्ति है, जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अधिकरण के अभिलेखों सहित आक्षेपित य अधिनिर्णय का परिशीलन किया है।

7. निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को पृष्ठीय अस्थि के फ्रैक्चर और रीढ़ की हड्डी की चोट सहित कई चोटें आईं, जिसके कारण उसके दोनों निचले अंग अपंग हो गए और वह अधरंगघात का शिकार हो गया। यद्यपि चिकित्सकों के साक्ष्य के अनुसार, उसकी स्थायी निशक्तता 85% की सीमा तक है किंतु यह

स्वीकार्य है कि उपरोक्त चोट/स्थायी निशक्तता के कारण, अपीलार्थी/दावेदार अपने जीवन भर दोनों निचले अंगों का उपयोग करने में असमर्थ हो गया, लंबे समय तक बैठने में असमर्थ हो गया और अपनी नौकरी करने में भी असमर्थ हो गया।

8. उच्चतम न्यायालय ने, **राज कुमार बनाम अजय कुमार एवं अन्य, (2011) 1 SCC 343** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि, अधिकांश मामलों में, आर्थिक हानि का प्रतिशत, अर्थात उपार्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत, जो स्थायी निशक्तता से उत्पन्न होता है, वह स्थायी निशक्तता के प्रतिशत से भिन्न होगा; और कंडिका 10 में निम्नानुसार अवलोकन किया है:

"जहाँ दावाकर्ता को चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी निशक्तता होती है, वहाँ भविष्य की आय की हानि के मद के तहत मुआवजे का निर्धारण, उसकी उपार्जन क्षमता पर ऐसी स्थायी निशक्तता के प्रभाव और परिणाम पर निर्भर करेगा। अधिकांश मामलों में, आर्थिक हानि का प्रतिशत, अर्थात उपार्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत, जो स्थायी निशक्तता से उत्पन्न होता है, वह स्थायी निशक्तता के प्रतिशत से भिन्न होगा। कुछ अधिकरण गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि सभी मामलों में, स्थायी निशक्तता की एक विशेष सीमा (प्रतिशत) के परिणामस्वरूप उपार्जन क्षमता की उतनी ही हानि होगी, और फलस्वरूप, यदि प्रस्तुत साक्ष्य 45% स्थायी निशक्तता दर्शाते हैं, तो वे यह मान लेते हैं कि भविष्य की उपार्जन क्षमता में भी 45% की हानि हुई है। अधिकांश मामलों में, उपार्जन क्षमता की हानि की सीमा (प्रतिशत) को स्थायी निशक्तता की सीमा (प्रतिशत) के बराबर मानना, या तो बहुत कम या बहुत अधिक मुआवजे के अधिनिर्णय का परिणाम होगा"

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपर्युक्त संदर्भित मामले में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत को वर्तमान मामले, के तथ्यों एवं परिस्थितियों में लागू करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि अपीलार्थी की शारीरिक स्थायी निशक्तता 85% है, किंतु उसके उपार्जन क्षमता की हानि 100% है और अधिकरण ने अपीलार्थी के उपार्जन क्षमता की हानि को केवल 85% मानकर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना करने में त्रुटि की है।

10. दावाकर्ता ने यह अभिवचन किया था कि वह 'आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स, धमतरी' में मैकेनिक के रूप में कार्य करते हुए 4,000/- रुपये प्रति माह कमा रहा था, किंतु वह इस संबंध में कोई ठोस और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

निर्णयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत कर इसे सिद्ध करने में विफल रहा। अतः, दावा याचिका में अपीलार्थी/दावाकर्ता द्वारा उठाए गए उक्त तर्क को अस्वीकार करने में हमें अधिकरण के दृष्टिकोण में कोई शैथिल्यता प्रतीत नहीं होती।

11. तथापि, अधिकरण ने अधिनियम की धारा 163-ए की द्वितीय अनुसूची में निर्धारित काल्पनिक आय के आधार पर अपीलार्थी की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित करने में भूल की है। हमारे विचार में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अपीलार्थी वर्ष 2003 में अर्थात दुर्घटना के वर्ष में आसानी से 1500/- रुपये प्रति माह और 18000/- रुपये प्रति वर्ष कमा सकता था। अतः, हम अपीलार्थी की काल्पनिक आय को 18,000/- रुपये प्रति वर्ष और उसकी अर्जन क्षमता की हानि को 100% मानते हुए मुआवजे की राशि की पुनर्गणना करने का प्रस्ताव करते हैं।

12. दुर्घटना के समय अपीलार्थी की आयु लगभग 24 वर्ष थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा **'सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य, (2009) 6 SCC 121'** के मामले में दिए गए निर्णय के मद्देनजर में 18 का गुणांक उचित होगा, जिसमें 21 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 18 का गुणांक निर्धारित किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दावाकर्ता की 18,000/- रुपये की वार्षिक अर्जन क्षमता की हानि को 18 के गुणांक से गुणा करने पर, अर्जन क्षमता की हानि की मद में मुआवजे की राशि 3,24,000/- रुपये बनती है।

14. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी/दावाकर्ता भी हकदार हैं 45,000/- रुपए चिकित्सा व्यय हेतु , जो अधिकरण द्वारा अधिनिर्णय में दिए गया , 10,000/- रुपये के स्थान पर 20,000/- रुपये' पीड़ा एवं कष्ट' हेतु , परिचारक हेतु 20,000/- रुपये, विशेष आहार हेतु 5,000/- रुपये और वाहन व्यय हेतु 5,000/- रुपये पाने का हकदार है। इस प्रकार, वह उक्त दुर्घटना में आई चोटों के मुआवजे के रूप में कुल 4,09,000/- रुपये पाने का हकदार है।

15. अपीलार्थी को बढ़ी क्षतिपूर्ति की राशि पर 22,750/- रुपये परिमाणित ब्याज के रूप में और प्रदान किए जाते हैं।

16. पूर्वगामी आधारों पर, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए 2,71,750/- रुपये के क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, 1,70,000/- रुपये (1,47,250/- रुपये बढ़ी हुई राशि + 1,47,250/- रुपये पर 22,750/- रुपये परिमाणित ब्याज) और प्रदान किए जाते हैं। अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया जाता है। अधिनिर्णय की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

17. बीमा कंपनी / प्रत्यर्थी क्रमांक-4 को संबंधित दावा अधिकरण के समक्ष उक्त राशि जमा करने के लिए तीन माह का समय प्रदान किया जाता है।

18. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही./-

मुख्या न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही./-

एन. के. अग्रवाल

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी

जाएगी।

Translated By- Kokila Sharma

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur